

आदेश न इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 144/2020 (धारा 14 सिक्कोरिटाईजेशन)

ए यू स्माल फाईनेन्स बैंक लि. (पूर्व नाम ए यू फाईनेन्सियर (इण्डिया) लि. पता-19 ए, धूलेश्वर
मार्डन, अजमेर रोड, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय बैंक

बनाम

1. बैरुराम सेनी पुत्र श्री कानाराम सेनी जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 8, प्रागपुरा तहसील,
कोटपूतली जिला जयपुर।
2. श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री बैरुराम सेनी जाति माली निवासी 340, मालियों की डाणी, प्रागपुरा,
तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर ।
3. श्री सुरेश चन्द्र सेनी पुत्र श्री रामडालू जाति माली निवासी 74, दासावाली डाणी वार्ड नम्बर 7,
पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of security
interest Act,2002.

उपस्थित:-

1. श्री सुरेन्द्र सिंह नरुका अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से ।

आदेश

दिनांक 15.04.2021




संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक
7.06.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी बैरुराम सेनी पुत्र श्री
कानाराम सेनी के स्वामित्व की सम्पत्ति वाणिज्यक भू-खण्ड संख्या 6 खसरा नम्बर
785/2718/0.05 हैक्टेश्वर ग्राम पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर में से क्षेत्रफल 22.22
वर्गगज को बन्धक रखकर कुल राशि 7,50,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई
थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर
अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.07.2019 को रजिस्टर्ड
नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय व्याज भुगतान नहीं
करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets
and enforcement of security interest Act,2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत
कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस
हमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

मजिस्ट्रेट
जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्जे रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्राथीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 सितम्बर 2017 का सरफेरी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान बैंक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्राथीगणों को 7,50,000/- रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्राथीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्राथीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 6,60,290/-रूपये जमा कराने हेतु अप्राथीगण को दिनांक 31.07.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। अप्राथीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्राथीगण द्वारा वित्तीय बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्राथी गैरुराम सैनी पुत्र श्री कानाराम सैनी के स्वागित्व की सम्पत्ति वाणिज्यक भू-खण्ड संख्या 6 खसरा नम्बर 785/2718/0.05 हैक्टैयर ग्राम पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर में से क्षेत्रफल 22.22 का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर/पुलीस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हरब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
8. आदेश आज दिनांक 15.04.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।




 (अन्तर सिंह नेहरा)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर